

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय : औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका 2(xiii) के अन्तर्गत सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयों को 1 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर (CST) देय होने के संबंध में।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका 2(xiii) में लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों के द्वारा उत्पाद पर 1 (एक) प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर (CST) देय था। कतिपय इकाईयों द्वारा आवेदन दिया गया कि चूंकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 की कंडिका 2(xiii) में सूक्ष्म उद्योग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसलिए यह सुविधा सूक्ष्म इकाईयों को प्राप्त नहीं हो रही है।

राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाईयों को समानान्तर लाभ देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म इकाईयों को उत्पाद पर 1 (एक) प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर (CST) देय होगा। अतः जिन टाईनी औद्योगिक इकाईयों द्वारा 1 (एक) प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर (CST) लिया गया है उनसे पुनः केन्द्रीय बिक्री कर (CST) की वसूली नहीं की जानी चाहिए।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नवीन वर्मा)
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

2074

पटना, दिनांक : 12.11.13

प्रतिलिपि : उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाए।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक

2074

पटना, दिनांक 12.11.13

प्रतिलिपि- सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, ह0रे0/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं0लि0, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना